<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

06 .02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के तहत मैसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राधा चरण साह , एमएलसी, बिहार विधान परिषद द्वारा अधिग्रहित **26.19 करोड़ रुपए** की सीमा तक 02 अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से जब्त किया है।

ईडी ने मैसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी , 1860 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत बिहार पुलिस द्वारा दर्ज की गई 19 एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की। यह आरोप है कि मैसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड खनन प्राधिकरण, बिहार द्वारा जारी विभागीय प्री-पेड परिवहन ई-चालान का उपयोग किए बिना अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री में शामिल रही है और सरकारी खजाने को **161.15 करोड़ रुपए** तक भारी राजस्व हानि हुई है।

ईडी की जांच में पता चला कि रेत की अवैध बिक्री और उसके खनन को मुख्य रूप से एक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सिंडिकेट सदस्य होने के नाते, राधा चरण साह ने मैसर्स ब्रॉडसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अपराध की भारी आय अर्जित की , जो रेत की अवैध बिक्री में शामिल थी । उन्होंने हवाला नेटवर्क का उपयोग करके अपने बेटे कन्हैया प्रसाद की सहायता से अपराध की आय का स्तरीकरण और शोधन किया। उन्होंने इसका उपयोग एक कंपनी जिसमें उनके बेटे शेयरधारक हैं, के माध्यम से मनाली (हिमाचल प्रदेश) में एक रिसॉर्ट के अधिग्रहण और विकास में किया, और अपने परिवार के स्वामित्व वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्कूल में निर्माण कार्य करने के लिए किया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली फर्म और ट्रस्ट का प्रयोग अपराध की आय को छुपाने के लिए किया ।

इससे पहले तत्काल मामले में, कंपनी और सिंडिकेट सदस्यों से जुड़े परिसरों और नकद राशि की तलाशी ली गई थी तथा 1.49 करोड़ रुपए जब्त किए गए। आगे, राधा चरण साह , उनके बेटे कन्हैया प्रसाद और मैसर्स ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मिथिलेश कुमार सिंह, बबन सिंह और सुरेंद्र कुमार जिंदल को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में सभी न्यायिक हिरासत में हैं। वर्तमान मामले में 10.11.2023 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है और माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है।

आगे की जांच जारी है।